

समाहरणालय, जहानाबाद।
(जिला परिवहन प्रशाखा)

-: आदेश :-

परिवहन विभाग, बिहार, पटना के सं०सं०-०३/प्र०-बजट आवंटन (३०५५)-२६/२०१८, पत्रांक-३०, दिनांक-११.४.२०१९ द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-२०१९-२० में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" हेतु कुल-१,४०,००,०००.०० (एक करोड़ चालीस लाख) रु० का स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।

जहानाबाद के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को तत्काल उनके नाम के सामने स्तंभ ३,४ एवं ५ द्वारा कुल-१,४०,००,०००.००(एक करोड़ चालीस लाख, स्तंभ-६) रु० उपावंटित किया जाता है।

क्र०	प्रखंड का नाम	मुख्य शीर्ष-३०५५-सड़क परिवहन-उप मुख्य शीर्ष-००-लघु शीर्ष-१९९-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता उप शीर्ष-०१०१-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-४७-३०५५००१९९०१०१ विषय शीर्ष-०१०१३३०१ सन्निडी	मुख्य शीर्ष-३०५५-सड़क परिवहन-उप मुख्य शीर्ष-००-लघु शीर्ष-७८९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उप शीर्ष-०१०१-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-४७-३०५५००७८९०१०१ विषय शीर्ष-०१०१३३०१ सन्निडी	मुख्य शीर्ष-३०५५-सड़क परिवहन-उप मुख्य शीर्ष-००-लघु शीर्ष-७९६-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-०१०१-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड-४७-३०५५००७९६०१०१ विषय शीर्ष-०१०१३३०१ सन्निडी	कुल आवंटित राशि
०१	०२	०३	०४	०५	०६
१	जहानाबाद	६,००,०००.००	७,००,०००.००	१,४०,०००.००	१४,४०,०००.००
२	काको	६,००,०००.००	७,००,०००.००	१,४०,०००.००	१४,४०,०००.००
३	घोसी	६,००,०००.००	७,००,०००.००	१,४०,०००.००	१४,४०,०००.००
४	मोदनगंजा	६,००,०००.००	७,००,०००.००	१,४०,०००.००	१४,४०,०००.००
५	हुलासगंज	६,००,०००.००	७,००,०००.००	१,५०,०००.००	१४,५०,०००.००
६	रतनी फरीदपुर	६,००,०००.००	१०,००,०००.००	१,५०,०००.००	१७,५०,०००.००
७	मखपूरपुर	६,००,०००.००	७,००,०००.००	१,४०,०००.००	१४,४०,०००.००
	कुल-	४२,००,०००.००	५२,००,०००.००	१०,००,०००.००	१,४०,००,०००.००

L

2018-19

- वित्तीय स्वीकृति/आदेश संख्या 410, दिनांक 10.12.2018 के आलोक में वित्तीय वर्ष ~~2018-19~~ हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना हेतु निहित अनुदेश के अनुरूप राशि की निकासी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 राज्य योजना मांग संख्या 47 से की जायेगी।
24. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-एम-4-05/98-2561 वि. (2), दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत है।
25. लाभकों के आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या 823, दिनांक-05.09.2018 के आलोक में पूरी छान-बीन एवं आवश्यक जांच के बाद किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान न हो। अनुदान की राशि लाभकों के स्वतंत्रता में अंतरित करने के पूर्व लाभकों से चयनित वाहन का निबंधन-पुरत, बीमा से संबंधित दस्तावेज एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो इस आशय का स्वपोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि अनुदान की राशि का उपयोग वित्त पोषण करने वाली संस्था के ऋण भुगतान में किया जायेगा।
26. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उप शीर्ष, आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संश्लेषण समुचित ढंग से हो सके।
27. वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वार्षिक रूप से नियंत्रण किया जा सके।
28. राशि निकासी एवं व्यय संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह 5 वीं तारीख को जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
29. आवंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध कर दिया जाय। राशि की निकासी से संबंधित टी0वी0 नं0 तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विक्रयणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
30. किसी प्रकार की गलत/अनियमित निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
31. प्रखंड विकास पदाधिकारी, रतनी फरीदपुर, जिला-जहानाबाद के ज्ञापक-450, दिनांक-13.03.19 के द्वारा शीर्ष-3055001990101 में राशि-3,00,000.00 (तीन लाख) रुपये एवं शीर्ष-3055007890101 में राशि-3,00,000.00 (तीन लाख) रुपये उपावृत्त की जाती है।

ह0/

जिला पदाधिकारी,

जहानाबाद।

ज्ञापक:- 424 / दिनांक-25/5/19

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं अनुपासनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वरीय कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं इस आवंटन आदेश को जहानाबाद के वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- राक्षस, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,

जहानाबाद।